Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JULY-AUGUST, 2020, VOL- 8/60

मनरेगा: रोजगार, चुनाव और उपाय

विनीत कुमार सिन्हा, Ph. D.

राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110065

binit_sinha2004@yahoo.com

Abstract

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केवल एक रोजगार जनन योजना ही नहीं बल्कि एक कानून है। माना जाता है कि यह रोजगार जनन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी एक लोकतांत्रिक विधिक योजना है। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ और इसके अगले ही वर्ष इसे लागू किया गया। एक अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू किया गया। अकुशल मानवीय श्रम के क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में मांग आधारित प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के साथ 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी दी गयी। आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिए जाने की स्थिति में राज्य सरकारों के द्वारा बेरोजगारी भत्ता देना निश्चित किया गया। वस्तुत: मनरेगा के केंद्र में ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान पर काम करना है। आज, जबकि हम सभी कोरोना जैसी महामारी के माहौल में जी रहे हैं, ऐसे में मनरेगा ग्रामीण गरीबों तथा प्रवासी श्रमिकों जो शहर से गाँव लौटकर आए हैं, उन्हें इस विकट समय में कुछ न कुछ रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ ही, मनरेगा का राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की भी समीक्षा भी इस आलेख में हमने करने की कोशिश की है।

मुख्य शब्द: नरेगा, मनरेगा, कोरोना, लोकतांत्रिक, विधिक योजना, समावेशी विकास, बेरोजगारी भत्ता, अकुशल मानवीय श्रम, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना:

भारत सरकार द्वारा 2006 में ग्रामीण गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कोशिश हुआ। ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 द्वारा न्यायसंगत तरीके से समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए काम के अधिकार को स्थापित करने की कोशिश हुई, जिसका 2009 में नाम बदलकर इसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। वित्तीय वर्ष 2007-08 में इसे देश के 130 जिलों में और 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों में इसे लागू किया गया। अकुशल मानवीय श्रम के क्षेत्र में

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एक वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के साथ 100 **दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी दी गयी। किसी के द्वारा आवेदन प्राप्त होने के** 15 **दिनों के भीतर काम दिए जाने की कानूनी बाध्यता भी दी गयी और इसे न पूरा करने की स्थिति में राज्य सरकारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना निश्चित हुआ**1**। भारत में गरीबी दूर करने के लिए और भी कई रास्ते हैं परन्तु ग्रामीण भारत के निर्धनतम लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार और आय बढ़ाने के लिए यह अधिनियम प्रत्यक्ष रुप से प्रयासरत है**2**। साथ ही, मनरेगा को इस तरह प्रारूपित किया गया है कि यह स्व- केन्द्रित बन जाय अर्थात् इसके तहत् जो गरीब नहीं है वह मनरेगा में काम नहीं करना चाहेगा और जो गरीब है वे भी बेहतर अवसर मिलते ही इस काम को छोड़ देगा**3**।**

इस अधिनियम द्वारा श्रम बाजार के सामान्य मजदूरी दर को विधिक न्यूनतम मजदूरी के साथ जोड़ा गया है और इसी दर पर अतिरिक्त रोजगार के अवसर दिए जाने की गारंटी दी गयी है। खास बात यह भी है कि जो काम मनरेगा योजना में शामिल नहीं भी है उन्हें भी वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर देने का प्रावधान है। इससे श्रम बाजार में गरीब और अमीर दोनों का ही समझौता क्षमता में बड़ा परिवर्तन आया है। फलत: इसका लाभ उस गरीब परिवारों को भी हो सका है जो मनरेगा योजना में भागीदार नहीं रहे हैं। एक तरह से यह अपने रोजमर्रे के जीवन में ग्रामीण गरीबों के लिए मूल्यवान बीमा का भी काम करता है। ऐसा इसलिए भी कि जिसे मनरेगा के तहत काम नहीं भी चाहिए उन्हें भी यह पता है कि काम फिर भी उपलब्ध है। इससे रोजगार के अवसर खोजने और पाने के लिए श्रम के प्रवसित करने की दर में कमी आयी है। साथ ही इस योजना का गरीबों को सशक्तिकृत करते हुए ग्रामीण श्रम के विभिन्न आयामों में भी दखल बढ़ा है। काम के माँग जनित होने की प्रवृति और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के सुनिश्चित होने की वजह से सशक्तिकृत ग्रामीण गरीबों को जो पहले जन कार्य की प्रक्रिया में भाग लेने से बहिष्कृत किया जा रहा था और स्थानीय विशिष्ट वर्ग के शोषण का शिकार हो रहा था, इसमें कमी आयी है। रोजगार के गारंटी युक्त होने की वजह से यह भी स्पष्ट है कि योजना का लाभ शत प्रतिशत मिल सके। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं, यह पूरी तरह से सरकार की प्राथमिकता और खुले रुप से व्यय के प्रति इच्छाशक्ति और समर्पण पर निर्भर करता है। भले ही यह योजना अकुशल श्रमिकों के लिए प्रारुपित किया गया हो लेकिन स्थानीय ग्रामीण स्तर पर योजनाओं और श्रमिकों को संगठित करने हेतु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। ऐसे में अमूमन पिछड़े क्षेत्रों में योजना लागत बढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है। एक

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आंकड़े के अनुसार, हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है(2010), पूरे ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत 45 प्रतिशत गरीब परिवारों ने ही रोजगार की मांग किया है और उसमें भी 56 प्रतिशत परिवारों को काम मिल पाया है, अर्थात 44 प्रतिशत को काम नहीं मिल पाया। हालांकि, राज्यवार स्थिति कुछ अलग अलग देखी गयी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी मांग प्रतिशत की संख्या ज्यादा है जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों4 का यहां विश्लेषण भी जरुरी है। अभी देश के 691 जिलों, 6922 प्रखंड और 263101 ग्राम पंचायतों में फिलहाल यह योजना चल रही है। कुल 13.68 करोड़ जाब कार्ड जारी हुए हैं, जिसमें सक्रिय केवल 7.6 करोड़ है। श्रमिकों की कुल संख्या 26.6 करोड़ है, जिसमें सक्रिय केवल 11.69 करोड़ है। सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या में 19.11% अनुसूचित जाति और 16.31% अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भागीदारी है। यदि दिव्यांग श्रमिकों की भागीदारी(जिन्होंने काम किया) देखें तो 2016-2020 के दौरान क्रमशः 4.71 लाख, 4.72 लाख, 4.61 लाख, 4.55 लाख रही है5। प्रति दिन प्रति क्यक्ति औसत मजदूरी दर(रू. में) 2016-2020 के दौरान 161.65, 169.44, 179.13, 182.08, 210.94 रूपये रहा है। प्रति हाउसहोल्ड रोजगार के औसत दिवस को देखने से पता चलता है कि इन्हीं वर्षों में क्रमशः 46, 45.69, 50.88, 48.32 दिवस का रोजगार प्रति हाउसहोल्ड मिल पाया है6। कुल कार्य दिवस में से महिलाओं की भागीदारी इन्हीं वर्षों में क्रमशः (% में) 56.16, 53.53, 54.59 और 54.67% रहा है, जबकि मनरेगा के पूर्व परंपरागत श्रम बाजार में इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। अनुसूचित जाति का(% में) 21.32, 21.56, 20.77, 19.72% जबकि इन्हीं वर्षों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 17.62, 17.49, 17.42 और 18.29% रहा है। हालांकि आंकड़े तो पुराने हैं परन्तु यहां जीन द्रेज के एक अध्ययन की चर्चा जरूरी है। प्रो. द्रेज रैंडम पद्धति को अपनाते हुए हिन्दी भाषी 6 राज्यों- बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश में किए अध्ययन के आधार पर कहा कि मनरेगा का लाभ गरीबों में भी अत्यंत गरीबों तक पहुंच रहा है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इस योजना से काफी लाभ मिल रहा है। लिए गये सैंपल में 73% इसी समुदाय से मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हैं। इन श्रमिकों में से 81% कच्चे मकान में रहने वाले हैं और इनमें से 72% श्रमिकों के घर में बिजली नहीं है। इन राज्यों में जबकि महिलाओं के लिए सामान्यतः रोजगार के अवसर कम रहे हैं, तब भी 30% महिला श्रमिक ऐसे मिले जो सर्वे के तीन माह के दौरान मनरेगा के अलावा उन्हें अन्य स्त्रोतों से आय प्राप्त हुआ था। 79% महिला श्रमिकों ने मनरेगा से प्राप्त मजदूरी

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

को खुद से ग्रहण किया और 68% **महिला श्रमिकों ने उस मजदूरी को अपने पास भी रखा। यहां यह बात स्पष्ट हो रहा है कि मनरेगा ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित तो किया ही, साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि उनके पति आय का कुछ भाग घरेलू कार्यों हेतु उनसे ले भी रहे हैं। अध्ययन में यह भी दिखाया गया है कि मनरेगा को अपने जीवन में** 71% **श्रमिक महत्वपूर्ण मान रहे थे, इनमें से** 69% **भूख से,** 57% **तनावपूर्ण प्रवसन से,** 47% **परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने की स्थिति में और खतरनाक कार्यों से बचाने के लिए इसके महत्त्व को** 35% **श्रमिकों ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही** 83% **श्रमिकों ने स्वीकार किया है कि गांव में संपदाओं का निर्माण हुआ है और केवल** 11% **श्रमिकों को कार्य स्थल पर छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। श्रमिकों में** 98% **ऐसे थे जो प्रतिवर्ष** 100 **दिनों का रोजगार चाहते थे जबकि सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि** 12 **माह के सर्वे में केवल** 43 **दिनों का ही रोजगार उपलब्ध हो सका**7**।**

चुनावों में लाभ के रुप में नरेगा

नरेगा का चुनाव से कोई संबंध है क्या, जब इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो इनके बीच के संबंध का कुछ ट्रेंड दिखता है। कुछ लोगों का मानना है8 **कि श्रीमति इंदिरा गांधी को जो फायदा** 1971 **के चुनाव में गरीबी हटाओ जैसे नारा से मिला था, लगभग वैसा ही राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को** 2009 **के लोकसभा चुनाव में नरेगा की वजह से हुआ है। नरेगा पर कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन होता है और यह** 2006 **के मई महीने में होती है। इस बैठक में तत्तकालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि गैर- कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को नरेगा द्वारा गरीबों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी जी यह आह्वान करती हैं कि यदि गैर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार नरेगा का क्रियान्वयन ढंग से न कर रही हो तो पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जरूर करें**9 **जिससे गरीबों को हम उनका हितैषी लग सके। इसी समय, उड़ीसा के कालाहांडी जिला से आए एक अध्ययन में यह दिखाया गया कि नरेगा का गरीबी और भूखमरी पर प्रभावी असर हुआ है और लोगों से बात करने पर वे रोजगार को अपना मत देने की वकालत करते दिख रहे हैं। उनका साफ कहना था हम नरेगा वाले दल अर्थात् कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि इसने हमें रोजगार दिया है। परिणामस्वरूप, लगभग ढाई दशक के बाद** 2009 **के कालाहांडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस को जीत मिली**10**।**

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक यह भी मान रहे हैं कि 2009 **के लोक सभा का परिणाम एक ऐसी 'योजनाबद्ध राजनीति' के उदय का संकेत है जो राजनीतिक लाभ एवं लोक नीति के बीच सह- संबंध स्थापित करने का भरसक प्रयास करता है। इसे हम नरेगा, कृषि ऋणों की माफी जैसे लोक नीतियों के संदर्भ में देख सकते हैं। वैसे इस तरह के सह संबंध को बढ़ावा देने में कोई समस्या नहीं, ऐसी राजनीतिक प्रयोग को सफल बनाना ही चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का विकासशील समाज के अध्ययन केंद्र ने राष्ट्रीय निर्वाचन अध्ययन पर किए गये शोध से मिले आंकड़ों के अनुसार कहा कि दस में से छह ग्रामीण गरीब मतदाताओं को सरकार की दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं(नरेगा और कृषि ऋण माफी) की जानकारी थी**11**। हालांकि, इसी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नरेगा और कृषि ऋण माफी से ग्रामीण गरीबों के क्रमशः** 30% **और** 25% **को ही लाभ मिल पाया था, लेकिन भारत में निर्वाचन प्रणाली के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होने की वजह से वोट प्रतिशत में थोड़ा उतार चढ़ाव से ही सीटों की संख्या में काफी बदलाव आ जाता है। इस संबंध में जेम्स मेनर का भी विश्लेषण है कि कांग्रेस पार्टी को इन योजनाओं को लाने का अपने प्रतिद्वंद्वी दलों के मुकाबले काफी राजनीतिक लाभ मिले हैं**12**।**

इसके अलावे, एक अन्य अध्ययन ' वर्ल्ड डेवलपमेंट' में छपता है, जो आंध्रप्रदेश का 2009-2014 **के दौरान का है। इसमें उपासक दास एवं डिएगो मायरानो बताते हैं कि वे सारे विधान सभा सीटें जिसपर कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दलों की जीत हुई थी, मैटेरियल्स पर मनरेगा का व्यय भेदभावपूर्ण रूप से** 17% **अधिक था**13**। इससे चुनाव में मदद की उम्मीद से ठीकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। साथ ही, डियगो मायरानो यह भी बताते हैं कि आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने फिल्ड असिस्टेंट को नियुक्त कर पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया क्योंकि गांव के स्तर पर मनरेगा को लागू इसे ही करना था अर्थात इसके क्रियान्वयन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था**14**। दिलीप मुखर्जी अपने आलेख में बता रहे हैं कि यू पी ए को** 2009 **के चुनाव में फायदा हुआ है। इसी वजह से कुछ राज्यों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए मनरेगा फंड के आवंटन में हेराफेरी हुई है। लेकिन जिमरमैन का तर्क है कि आरंभ में कांग्रेस को ऐसा करने से लाभ तो मिला परन्तु बाद में चलकर गरीबों की अपेक्षाओं के बढ़ते जाने से और क्रियान्यवयन के स्तर पर आने वाली समस्याओं की वजह से यह कांग्रेस के लिए नुकसान ही सिद्ध हुआ**15 **और हमें** 2014 **के लोक सभा चुनाव में देखने को भी मिला।**

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महामारी कोरोना में मनरेगा:

कोविड-19 **वायरस से फैले महामारी कोरोना के दौरान सबसे अधिक समस्या उन श्रमिकों को आ रही है जो मनरेगा पर निर्भर हैं और जो शहरों से काम छोड़कर अपने गांव को वापस गये जहां फिलहाल कोई काम नहीं है।** 21 **दिनों के लम्बे लाकडाउन के दौरान कई राज्यों ने फिलहाल मनरेगा को बंद कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि सीमित आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा को जारी रखा जा सकता है। इसी बीच नागरिक समाज संगठन समूह ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आपातकालीन सहयोग राशि के रुप में** 7000 **रुपये प्रति माह के हिसाब से अप्रैल एवं मई माह के लिए प्रति हाउसहोल्ड को देने का आग्रह किया है। इसके लिए पूरी राशि** 3.75 **लाख करोड़ चाहिए जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। राजस्थान सरकार ने लाकडाउन में बेरोजगारी भत्ता देने पर सहमति जताई है**16**। कर्नाटक सरकार से ऐसी ही मांग की जा रही है। हालांकि, केंद्र सरकार ने** 10 **अप्रैल तक का बकाया राशि के भुगतान हेतु** 4431 **करोड़ रुपये जारी किया है, जबकि कुल राशि** 11499 **करोड़ रूपये जारी किया जाना है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में भेजा जाएगा। सरकार ने** 1 **अप्रैल** 2020 **से मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वृद्धि को लागू कर दिया है**17**। इससे प्रत्येक श्रमिक को** 2000 **रुपये का और इससे लगभग पाँच करोड़ हाउसहोल्ड को फायदा होगा**18**।** 26 **मार्च को घोषित** 1.7 **लाख करोड़ पैकेज में आठ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से मनरेगा को भी देने की घोषणा हुई है।** 8 **अप्रैल** 2020 **को केंद्र सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत** 6834 **करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया है। आवंटित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह राशि महामारी को देखते हुए मजदूरी और मैटेरियल्स पर खर्च किया जाना चाहिए। उत्तरप्रदेश की योगी जी की सरकार ने मनरेगा के तहत अधिसूचित श्रमिकों को एक माह के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा किया है।** 30 **मार्च** 2020 **को उत्तरप्रदेश की सरकार ने** 27 **लाख मनरेगा लाभार्थी के लिए** 611**करोड़ रूपए बकाया राशि का आवंटन कर दिया है।**

मजदूर किसान शक्ति संगठन और नरेगा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता अरूणा राय एवं निखिल डे ने मनरेगा अधिनियम के धारा 14 **और** 21**के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया है। इनकी मांग है कि मनरेगा के तहत अधिसूचित सभी श्रमिकों को सक्रिय मानते हुए उन्हें उनकी मजदूरी अविलंब दिया जाय। इनका ये भी कहना है कि प्रत्येक श्रमिक को अपना मौलिक अधिकार और अपने को स्वस्थ रखने का अधिकार**

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मिलना ही चाहिए19**। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने भी मनरेगा श्रमिकों के लिए** 21 **दिनों के लाकडाउन के दौरान की मजदूरी एडवांस में देने की गुजारिश प्रधानमंत्री जी से किया है**20**।**

निष्कर्ष:

यहां मेरा उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि महामारी के दौरान भी रोजगार आधारित संरचना मनरेगा श्रमिकों के कल्याण और भूखमरी से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। आज भी(14.04.2020) **प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने** 3 **मई तक के घोषित लाकडाउन में प्राथमिकता में सबसे उपर उन श्रमिकों के हितों को रखा है जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। वाकई, इनकी समस्या अधिक गंभीर है जिसके समाधान में सरकार के साथ-साथ सभ्य समाज भी निरंतर अपना बेहतर प्रयास दे रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि मनरेगा न केवल रोजगार ही दे रहा है बल्कि चुनावी फायदे के साथ-साथ महामारी में भी अपने नागरिकों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अंततः हम मजबूती से कहना चाहते हैं कि**

" कोरोना हारेगा, अपना हिन्दुस्तान जीतेगा"।

संदर्भ:

1. केंद्र सरकार पूरी लागत का 90% तक खर्च करती है। इसके तहत श्रम लागत और गैर श्रम लागत में 60:40 का श्रम: पूँजी के अनुपात में सम्मिलित है। प्रशासनिक रुप से योजना के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त 6% केंद्र राज्य सरकारों को देती है। केवल बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है। यदि राज्य सरकारें काम नहीं दे पा रही है तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में राज्य सरकार को अपने बजट से देना होगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें काम देने के लिए प्रेरित होंगी जिससे वे अपना इस योजना में व्यय को बचा सके।

2. Dreze, Jean(2016)' Social Policy'(eds), Does India's Empowerment Guarantee Scheme Gaurantee

Employment? by P. Dutta, R. Murgai, M. Ravallion and D.V.D. Walle,Chap 13, p.255

3. Beesley, Timothy and Stephen Coate(1992)' Work- fare vs Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty Alleviation Programs, American Economic Review 82(1): pp.249-61

4. mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx

5. Ibid

6. Ibid

7. Dreze, Jean' Employment Guarantee and the Right to Work, chap-34, pp.510-18 in ' The Oxford Companion to Politics in India, edited by N.G. Jayal and B.P. Mehta(2010), p.514, OUP

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

8. Mainstream, Vol.XLVII, No. 23, May 23, 2009

9. Ibid

10. Ibid

11. Thachil. T' Do Policies Matter in Indian Elections?' in Centre for the Advanced study of India, April 26,

2010.

12. Ibid

13. livemint.com/politics/policy/how-mgnregs-is-used-as-a-political-tool-155068836.html

by Arjun Srinivas, 21Feb2019.

14.barrett.dyson.cornell.edu/files/paper/SheahanLiuBarrettNarayananJuly2014.pdf

P.4

15. Dilip Mukherjee' MNREGA: Populist leaky buckets or successful anti- poverty programme?

28 May, 2014 at ideasforindia.in

16. The Hindu' Coronavirus/ Lockdown hits NREGA workers hard, March 23, 2020.

17. The Hindu' Coronavirus/ Centre releases rs 4431 crores to clear pending wages under MGNREGA, March 27, 2020.

18. Business Today' Coronavirus relief aid: Who gets how much direct cash transfer?, March 26, 2020.

19 .en.gaonconnection.com/ the-government-release-rs-6834-crores-for-mgnrega-workers-the-big-question-is-will-this-bring-relief-for-them-during-the-lockdown/

April 10, 2020

20. The Economic Times' Sonia Gandhi asks PM to give 21 days' wages in advance to MGNREGA workers

April 01, 2020.

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies